दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली 8 मार्च, 2025

फाइल सं. प्लानिंग/एमपी/0001/2024/एफ–3/दिल्ली विकास प्राधिकरण/केंद्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11–क के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना–2021/जोन–'ई' की क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से **30 (तीस) दिन** की अवधि के भीतर ऑनलाइन पोर्टल **citzservices.dda.org.in** के माध्यम से अथवा ई–मेल द्वारा **mpd2021.public@dda.org.in** पर अथवा आयुक्त एवं सचिव, डीडीए, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन नई दिल्ली–110023 को लिखित रूप में भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन/संपर्क नंबर/ई–मेल आईडी भी दें, जो पठनीय हो।

प्रस्तावित संशोधनः

अवस्थिति	क्षेत्रफल	दिल्ली मुख्य योजना 2021 एवं जोन ई की क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार मौजूदा भूमि उपयोग	भूमि उपयोग परिवर्तित किया गया	सीमाएं
1	2	3	4	5
पॉकेट–बी इंटीग्रेटिड फ्रेट कॉम्पलेक्स, गाज़ीपुर	752.51 वर्ग मीटर (900 वर्ग गज)	**दिल्ली मुख्य योजना–2021 के अनुसारः वाणिज्यिक** (सी–2 होलसेल एवं वेयरहाउसिंग) **जोन ई की क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसारः मनोरंजनात्मक** (सामुदायिक पार्क/पार्क/बहुउद्देशीय/जीआर)	सार्वजनिक एवं अर्ध–सार्वजनिक (पीएस–1)	**उत्तरः** मनोरंजनात्मक एनएच–24 **दक्षिणः** होलसेल (मछली बाजार) **पूर्वः** मनोरंजनात्मक/45 मीटर मार्गाधिकार (डॉ. हेडगेवार रोड़) **पश्चिमः** 30 मी. मार्गाधिकार रोड

प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला पाठ/प्लान निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य–दिवसों में उप निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला पाठ/प्लान निम्नलिखित लिंक अर्थात् **https://dda.gov.in/mpd-2021-public-notices-2025** और **https://citzservices.dda.org.in** पर भी उपलब्ध है।

सुरेन्द्र कुमार मीणा, आयुक्त एवं सचिव

@ddaofficial official_dda official_dda_ पर हमें फॉलो करें।

कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट **www.dda.gov.in** देखें अथवा टोल फ्री नं. 1800110332 डायल करें।